UPSB010024122026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र

पीठासीन–राम सुलीन सिंह, एच.जे.एस.UP1886

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1062/2026

रामभरोष साहनी उम्र करीब 23 वर्ष पुत्र स्व0 बुद्धू प्रसाद साहनी, निवासी–ग्राम बिलारीडीह, थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

1. जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त **रामभरोष साहनी** के विद्वान अधिवक्ता श्री पवन कुमार मिश्र एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री ज्ञानेन्द्र शरण राय को सुना तथा केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

2. प्रार्थी **रामभरोष साहनी,** मुकदमा अपराध संख्या–68/2026, अं.धारा– 305, 317(2), 317(4) भारतीय न्याय संहिता, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र के प्रकरण में अभियुक्त है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि मुकदमा उक्त में उसकी यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके पूर्व कोई अन्य नियमित जमानत प्रार्थना पत्र न तो इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, न ही विचाराधीन है, न ही निरस्त किया गया है और न ही उसने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रस्तुत किया गया है, न ही विचाराधीन है, न ही निरस्त किया गया है। आगे प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों का वर्णन किया गया है। यह कथन किया गया है कि अभियोजन कथानक सरासर गलत एवं असत्य है। तत्पश्चात् यह कथन किया गया कि वादी मुकदमा मुकदमा उपरोक्त अज्ञात के रूप में दर्ज कराया है। इसके बावजूद भी उसको बिना किसी सुसंगत साक्ष्य के अभियुक्त बना दिया गया है। उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। वह अन्य मुकदमें में जिला कारागार मिर्जापुर में निरूद्ध था। उसके बावजूद भी विवेचक ने बिना किसी बरामदगी के उसको मुकदमा उपरोक्त में कोरम पूर्ति करने के उद्देश्य से संलिप्त कर दिया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह गरीब मजदूर व्यक्ति है जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का भरण–पोषण करता है। वह बिल्कुल निर्दोष है। वह जमानत से छूटने पर जमानत के शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा तथा निर्धारित प्रत्येक तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा। उक्त आधार पर अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

5. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा विजय सिंह पुत्र कैलाश सिंह ने सम्बन्धित थाने पर इस आशय की तहरीर दिया कि उसकी पत्नी श्रीमती सोनी देवी के नाम देशी शराब की दुकान छपका पावर हाउस चुर्क रोड के बगल में लाइसेंसी दुकान है। दिनांक 25.01.2026 को सुबह उसका सेल्समैन दीपक सिंह पुत्र स्व0 रामटहल सिंह सूचना दिया कि दुकान से देशी

.....2

शराब व इनवार्टर तथा बैट्री और कुछ नगद रूपये चोरी हो गया है। मौके पर जब वह पहुंचा व पता किया तो उसका 132 पेटी ब्लूलाईम की देशी शराब, एक अदद इनवार्टर व एक अदद बैट्री जिस पर रायस्वन्टी लिखा हुआ है व गल्ला से कुछ नगद कैश अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर लिया गया है। उक्त आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गयी।

6. सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय अभियोजन पक्ष की तरफ से केस डायरी के प्रासंगिक पर्चे व अन्य अभियोजन प्रपत्रों को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पर यह अभियोग लगाया गया है कि घटना के दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तों के साथ मिलकर मुकदमा वादी के दुकान पर रखी देशी शराब व इन्वर्टर एवं बैट्री तथा नगर रूपये की चोरी करना एवं चुराई हुई सम्पत्ति का अभ्यस्तः व्यापार करना व उसके कब्जे से बरामद होना बताया गया है। अभियुक्त के विरूद्व लगाया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है। मामलें में विवेचनोंपरान्त आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। थाने द्वारा प्रार्थी का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है जो निम्नवत है।

(i)अ0सं0—34/2026,धारा 305(a), 331(4) भारतीय न्याय संहिता थाना अहरौरा, जिला मिर्जापुर।

(ii)अ0सं0—21/2026,धारा 305, 317(2), 331(4) भारतीय न्याय संहिता थाना सन्तनगर, जिला मिर्जापुर।

8. अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में अपराध की प्रकृति, अपराध कारित करने में प्रार्थी की भूमिका एवं थाने द्वारा प्रार्थी के सम्बन्ध में प्रस्तुत आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए गुण—दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना प्रार्थी को जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त नहीं हैं। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

—: **<u>आदेश</u>** :—

प्रार्थी **रामभरोष साहनी** की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या—68/2026, अं.धारा—305, 317(2), 317(4) भारतीय न्याय संहिता, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक—09.06.2026

(राम सुलीन सिंह)
सत्र न्यायाधीश
सोनभद्र